07/04/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O
सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 06/4/22 को पेश हो।

06/04/22 वकुलाय उभय पक्ष उप०। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 11-04-22 को पेश हो।

11-04-22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे तथा वकुलाय अप्रार्थीगण ने पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी पक्षकारान की उपस्थिति में किये जाने का कथन किया था। बहस विद्वान अधिवक्तागण पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज है। अतः अन्य सह खातेदार एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गुहाला स्थित भूमि खसरा नंबर 394, 395, 396, 403, 407, 409, 410 का प्रार्थीगण, अन्य सह खातेदार एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर पुनः सीमाज्ञान कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान 06.01.2021 पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

11-04-22
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना